कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

श्री पृथ्वीराज रतनू, प्रधानाचार्य राउमावि चांदराई जिला जालौर का स्थानांतरण आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/स्थानांतरण/वो–2 दिनांक 29.09.2021 द्वारा राउमावि रोडला, आहोर जिला जालौर एवं श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड, प्रधानाचार्य राउमावि चूण्डा, जिला जालौर का स्थानान्तरण राउमावि चांदराई जिला जालौर किया गया था। श्री रतनू द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर में अपील संख्या 07/2021 पृथ्वीराज रतनू बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई थी जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.21 द्वारा श्री रतनू के सम्बन्ध में जारी आलोच्य आदेश दिनांक 29.09.21 को अपास्त करते हुए नियमानुसार प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किए जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। उक्त प्रदत्त स्वतंत्रता के अनुसरण में विभागीय आदेश दिनांक 08.11.2021 द्वारा श्री रतनू को योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए पुनः राउमावि रोडला, आहोर जिला जालौर स्थानान्तरित किया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध श्री रतनू द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष एक नवीन अपील संख्या 172/2021 दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 09.12.2021 द्वारा विभागीय पदस्थापन आदेश दिनांक 08.11.2021 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया गया है जिसके फलस्वरूप राउमावि चांदराई जिला जालौर में दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

उक्त दोहरे पदस्थापन के निवारणार्थ शासन के पत्र क्रमांक प.(17)शिक्षा–2/2022 दिनांक 23.06.2022 की अनुपालना में माननीय अधिकरण के अपील में पारित आगामी/अन्तिम आदेश के अध्यधीन श्री पृथ्वीराज रतनू, राउमावि चांदराई जिला जालौर में प्रधानाचार्य पद पर यथावत पदस्थापित रहेंगें एवं स्थगन से प्रभावित श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड, प्रधानाचार्य का समायोजन/पदस्थापन GSSS RODLA AHORE (221071) JALORE में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

सत्यमेव जयते

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/पृथ्वीराज/172/2021/10 दिनांकः 12-07-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
5. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
6. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक,
7. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)